



राजस्थान सरकार

आयुक्तालय, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan

Website: <http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/>

e-mail: jdpi.cce@gmail.com Ph.: 0141-2706736(0)

क्रमांक : एफ4 (35) आकाशि / नि.सं./ DCE/2025-2026/0060

आदेश

राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 तथा तत्संबंधी नियम 1993 एवं राज्य सरकार द्वारा जारी अद्यतन निजी महाविद्यालय नीति के अन्तर्गत सत्र 2025-26 से स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर पर नवीन संकाय/विषय में स्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्नलिखित शर्तों के साथ स्वीकृत किया जाता है-

संचालक संस्था : एस.एस.जी. पारीक स्नातकोत्तर महाविद्यालय एवं सम्बद्ध शिक्षण संस्थायें, जयपुर।

महाविद्यालय का नाम : S.S.G. PAREEK P.G. MAHAVIDYALAYA, RAILWAY STATION ROAD INFRONT OF TEJAJI TEMPLE, CHOMU, JAIPUR, Jaipur Division 303702

सम्बद्ध विश्वविद्यालय : University of Rajasthan, Jaipur

नवीन संकाय/ विषय : Arts स्नाकोत्तर - Master of Arts (Drawing & Painting) Drawing & Painting Arts स्नाकोत्तर - Master of Arts (Economics) Economics Arts स्नाकोत्तर - Master of Arts (Hindi) Hindi Library & Information Sciences स्नातक - Bachelor of Librarian Library & Information Science Science स्नातक - Bachelor of Science Economics, Geography, Home Science, Psychology, Botany, Chemistry, Mathematics, Physics, Zoology, Computer Application, Statistics

- 1.संस्था स्थाई अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त प्रत्येक सत्र हेतु नियमानुसार मय निरीक्षण शुल्क आवेदन करेगी।
- 2.संस्था द्वारा सावधि जमा राशि (एफडीआर) का प्रत्येक वर्ष में नवीनीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा।
- 3.आवश्यकतानुसार आयुक्तालय द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा महाविद्यालय का निरीक्षण किया जा सकता है। अधिकृत अधिकारी द्वारा मांगा गया अभिलेख उपलब्ध करायेगी।
- 4.संस्था को समय-समय पर यू.जी.सी. / राज्य सरकार / आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा द्वारा जारी निर्देशों की पालना अनिवार्य रूप से करनी होगी।
- 5.संस्था संबंधित विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त करेगी तथा विधि महाविद्यालय के प्रकरण में BCI से मान्यता व विश्वविद्यालय से समदत्ता पर अनुमोदन प्राप्त करेगी। तत्पश्चात् ही विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाये।
- 6.संस्था संकाय व विषयवार सीटों का आवंटन विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त कर आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा विभाग को सूचित करेगी तथा महाविद्यालय तदनुसार तय संख्या सीमा में प्रवेश दिया जाना सुनिश्चित करेगा।
- 7.संस्था महाविद्यालय में अध्यापन कार्य हेतु यू.जी.सी. अर्हताधारी प्राचार्य एवं व्याख्याताओं तथा निर्धारित मानदण्डानुसार अशैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति के साथ-साथ अन्य निर्धारित शर्तों की पालना करेगी ।
- 8.राज्य सरकार की महाविद्यालय प्रवेश नीति 2025-26 तथा बाद में जारी होने वाली नीतियों का पालन करना होगा ।
- 9.संस्था प्रति वर्ष विभाग के NOC पोर्टल पर आवश्यक सांख्यिकी एवं महाविद्यालय की सूचनाएं निर्धारित अवधि में भरकर अपलोड करेगी।
- 10.मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के वेबपोर्टल www.aishe.nic.in पर महाविद्यालय को रजिस्टर करवाकर DCF-II (Data Capture format-ii) भरकर अपलोड करना अनिवार्य होगा महाविद्यालय अपलोडेड प्रमाण-पत्र की कॉपी आवश्यकतानुसार आयुक्तालय में प्रस्तुत करे।

उपर्युक्त शर्तों की पालना नहीं करने पर स्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र को निरस्त कर दिया जायेगा।

आयुक्त

कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. विशिष्ट सहायक, मान. उप मुख्यमंत्री महोदय, उच्च शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
3. निजी सचिव, आयुक्त, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, कलेक्टर जयपुर।
5. निजी सचिव, University of Rajasthan, Jaipur।
6. निजी सचिव, निम्नलिखित संस्था / महाविद्यालय ।
7. सांख्यिकी शाखा, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
8. रक्षित पत्रावली

Signature valid

Digitally signed by Om Prakash Bairwa
Date: 2025.12.03 17:39:30 IST
Reason: SelfAttested

